रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 1999/कार्तिक 5, 1921
No. 526] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 1999/KARTIKA 5, 1921

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1999

सा०का०नि० 724(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वेतन और भत्ता) विनियम, 1999 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास वेतन और भत्ते विनियमावली, 1997

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं—

01 इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वेतन और भत्ते) प्रथम संशोधन विनियमावली, 1999 होगा।

02 यह विनियमावली केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

03 विनियम 2 में खंड (28) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित होगा—

"यात्रा भत्ते से तात्पर्य ऐसे भत्ते से है जो कि किसी कर्मचारी को अपनी नौकरी के दौरान यात्रा पर खर्च किये गये व्यय को पूरा करने के लिए मंजूर किया जाता है।"

04 विनियम 4 के उपविनियम 1(क)(i) की 7वीं और 17वीं पंक्तियों में आए शब्द "अथवा केवल 25 रुपये और जो भी अधिक हो" निकाल दिये जायेंगे।

05. विनियम 19 में से उपविनियम 2 और इसके परन्तुक निकाल दिये जायेंगे।

06. उपविनियम 3 और 4 की क्रम संख्या क्रमशः 2 और 3 की जायेगी।

[फा. सं. पी आर-11011/5/99-पी ई-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वेतन और भत्ते)—विनियमावली दि. 19 सिम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 561(अ) के अन्तर्गत भारत के असाधरण राजपत्र के भाग II खंड 3, उप-खंड(i) में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 1999

G.S.R. 724(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees' (Pay & Allowances) 1st Amendment Regulations, 1999 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru Port Trust, and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST PAY & ALLOWANCES REGULATIONS, 1997

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port hereby makes the regulations, namely :

1. These regulations shall be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Pay & Allowances)–1st Amendment Regulations 1999.
2. They shall be applicable from the date of publication of approval of the Central Government in the Gazette of India.
3. In regulation 2, clause (28) shall be substituted as follows :

   "Travelling Allowance means an allowance granted to an employee to cover the expenses which he incurs on travelling in the course of his employment."
4. In regulation 4, in sub-regulation 1(a) (i) the words, "or rupees twenty five only, whichever is more" appearing in line 7 and line 17 shall be deleted.
5. In regulation 19, sub-regulation 2 and its proviso shall be deleted.
6. Sub-regulations (3) and (4) shall be renumbered as sub-regulations (2) and (3) respectively.

[F. No. PR-11011/5/99-PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note : JNPT Employees (Pay and Allowances) Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i) under notification No. GSR 561 (E), dated 19th September, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.